कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती आशा शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कामां जिला भरतपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टडाना (TADANA) जिला जैसलमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती आशा शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 21220/2019 आशा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 21220/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17.12.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्रीमती आशा शर्मा के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी श्रीमती आशा शर्मा, प्रधानाचार्य के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रीमती आशा शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कामां जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी। **उक्त पदस्थापन माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 21220/2019 में पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन रहेगा।**

16/01

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/आशा शर्मा/21220/2019 दिनांकः 16.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/जोधपुर संभाग, भरतपुर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर/जैसलमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भरतपुर/जैसलमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner